भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

दिनांक 20.10.2021 की योजना अधिसूचना के पैरा 9 के संबंध में, प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र तथा अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना हेतु प्रचालन दिशानिर्देश।

1. **परिचय**

1.1 वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने संचालन के स्तर को बेहतर बनाकर, एक स्थान पर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को स्थापित करके लॉजिस्टिक कीमत घटाकर, निवेश आकर्षित करके, रोजगार सृजन करके और निर्यात क्षमता को बढ़ाकर भारतीय वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र तथा अपैरल पार्क (मित्र) योजना प्रारंभ की है।

1.2 यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत वृहत स्तरीय तथा आधुनिक औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा उदाहरणतः कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, गारमेंटिंग, वस्त्र विनिर्माण, प्रसंस्करण तथा छपाई मशीनरी उद्योग को विकसित करेगी।

1.3 इन पार्कों को ऐसे स्थानों में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जहां वस्त्र उद्योग के संवर्धन हेतु निहित सामर्थ्य तथा सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हों।

1.4 यह योजना एक समयबद्ध स्वरूप में त्वरित गति के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी के नमूने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

2. **पात्रता तथा पद्धतियां**

2.1 न्यूनतम 1000 एकड़ के निकटस्थ और बाधारहित भूखंडों के आसानी से उपलब्धता वाले राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार अनुमानित मूल्य पर विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) को भूमि का हस्तांतरण करेगी। इस भू-संपत्ति उच्च मानक विशेषताओं वाले पार्कों के विकास तथा रखरखाव हेतु पीएम मित्र पार्क में निवेश बढ़ाने/आकर्षित करने के लिए किया जाएगा।

2.2 एसपीवी प्रधानमंत्री मित्र पार्क परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक विधिक निकाय (राज्य सरकार की 51% तथा केंद्र सरकार की 49% इक्विटी साझेदारी) होगा।

2.3 भूमि के उपयोग की ये विशिष्ट पद्धतियां संचालन दस्तावेजों में अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी), रियायत समझौता आदि नामों से परिभाषित होंगी जो राज्य सरकार, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा नीति आयोग के परामर्श से तैयार की जाएंगी।

2.4 प्रधानमंत्री मित्र पार्क के स्थानों का चयन चुनौती पद्धति पर एक द्विस्तरीय चयन प्रणाली में किया जाएगा।

स्तर-1: चुनौती क्रम के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थानों का चयन: इस स्तर पर एसपीवी के गठन पर व्यय, प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की योजना, पीएमए का चयन, प्रारूप आरएफक्यू/आरएफपी तथा रियायत समझौते के विकास और मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी जाएगी। मास्टर डेवलपर (एमडी) का चयन एक निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाना है तथा उसके पास पर्याप्त योग्यता तथा अनुभव होना चाहिए। मास्टर डेवलपर विकसित किए जाने वाली सड़क, ड्रेनेज, सीवेज, कठोर अपशिष्ट प्रबंधन, शोधन संयंत्र आदि मुख्य बुनियादी ढांचे सहित प्रधानमंत्री मित्र पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/मास्टर प्लान तैयार करेगा। यह मास्टर प्लान एसपीवी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

स्तर-2: पार्क का विकास: चयनित स्थानों को अनुमोदित डीपीआर/मास्टर प्लान के आधार पर अवंसरचनात्मक विकास/प्रधानमंत्री मित्र पार्कों के निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय से सहायता अनुदान जारी किया जाएगा। अनुदान की पहली किस्त जारी होने के पश्चात प्रधानमंत्री मित्र स्थानों पर कार्य की तत्काल शुरूआत सुनिश्चित होगी।

3. **भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना के तहत अनुदान का वित्त पोषण और जारी किया जाना:**

क. इस योजना का वर्ष 2027-28 तक 7 वर्ष की अवधि हेतु 30 करोड़ रुपए के प्रशासनिक व्यय के साथ 4445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय है।

ख. **विकास पूंजीगत सहायता (डीसीएस):** केंद्र सरकार पार्क एसपीवी को सहायता अनुदान (पूंजीगत) के रूप में डीसीएस प्रदान करेगी। डीसीएस आंतरिक सड़क, विद्युत वितरण अवंसरचना; जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य सुविधाओं, वस्त्र डिजाइनरों, अपैरल विनिर्माताओं, एसेसरीज विनिर्माताओं के लिए प्लग एंड प्ले अवसंरचना का विकास; फैक्ट्री स्थलों; इन्क्यूबेशन केंद्र आदि जैसी मुख्य अवसंरचना के निर्माण के लिए एक सहायता है। डीसीएस का उपयोग सामान्य प्रसंस्करण केंद्र, सामान्य प्रवाह शोधन संयंत्र (सीईटीपी), कामगार हॉस्टल तथा आवास (विशेषतया महिला कामगार हेतु) स्वास्थ्य सुविधा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास, भंडारगृह, लॉजिस्टिक आदि सहायक अवसंरचना के निर्माण हेतु भी किया जा सकता है।

डीसीएस दो चरणों में प्रदान किया जाएगा:

चरण-।: चरणबद्ध निर्माण के अनुसार, ग्रीनफील्ड पार्क हेतु 300 करोड़ रुपए तथा ब्राउनफील्ड पार्क हेतु 100 करोड़ रुपए। चरण-। के पूरा होने तक रियायत की अवधि 25 वर्ष रहेगी।

चरण-।।: ग्रीनफील्ड पार्क हेतु 200 करोड़ रुपए तथा ब्राउनफील्ड पार्क हेतु 100 करोड़ रुपए।

चरण-।। केवल पूर्व निर्धारित निष्पादन संबंधी मानदंडों को पूरा करने पर ही चालू किया जाएगा। चरण-।। चालू करने के वांछित बेंचमार्क को हासिल कर लेने की स्थिति में, रियायत अवधि 25 वर्ष और बढ़ाकर 50 वर्ष तक कर दी जाएगी।

ग. **प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस):**
प्रधानमंत्री मित्र पार्क में समय से पूर्व स्थापित होने के लिए विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु, प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विनिर्माण इकाइयों की प्रधानमंत्री मित्र पार्क में स्थापित इकाई की लागत को कम करने और कुछ हद तक उसके नुकसान को पूरा करने के लिए उसके कुल बिक्री कारोबार के 3% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

i. सीआईएस निधि तक सीमित होगा और यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा।

ii. यह प्रोत्साहन केवल उन विनिर्माता कंपनियों को उपलब्ध होगा जो वस्त्र योजना हेतु उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) के लाभ नहीं उठा रही हैं।

iii. प्रधानमंत्री मित्र पार्क में अपनी इकाई में 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश वाली वन एंकर निवेशक कंपनी हेतु प्रोत्साहन पर सालाना 10 करोड़ रुपए और अधिकतम 30 करोड़ रुपए की सीमा होगी।

iv. 100 से 300 करोड़ रुपए के निवेश वाली एक निवेशक कंपनी हेतु प्रोत्साहन पर सालाना 5 करोड़ रुपए और प्रोत्साहन पर अधिकतम 15 करोड़ रुपए की सीमा होगी।

v. अन्य निवेशक कंपनियों और किराएदार कंपनियों हेतु प्रोत्साहन पर सालाना 1 करोड़ रुपए और प्रोत्साहन पर अधिकतम 3 करोड़ रुपए की सीमा होगी परंतु उनका 100 व्यक्तियों अथवा अधिक का रोजगार अवश्य होना चाहिए।

4. **भारत सरकार की निधियों का जारी होना:**

4.1 वस्त्र मंत्रालय का अनुदान परियोजना की प्रगति और मास्टर डेवलपर से अंशदान से मिलान के आधार पर जारी किया जाएगा। मास्टर डेवलपर द्वारा 50 करोड़ रुपए जुटा लेने और मुख्य सहायता अवसरंचना के कुछ हिस्सों के विकास हेतु न्यूनतम 25 करोड़ रुपए का प्रयोग होने के पश्चात 50 करोड़ रुपए का पहला अंश जारी किया जाएगा। प्रारंभ की गई भौतिक प्रगति के साक्ष्य के साथ पीएमए की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में जुटाई गई राशि के 75% का प्रयोग हो जाने पर भावी निधि जारी की जाएगी। अगला अंश जारी होने से पहले एमडी तथा स्थान पर प्रारंभ भौतिक प्रगति के अंशदान का मिलान सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2 भारत सरकार द्वारा जारी और मास्टर डेवलपर द्वारा जुटाई गई निधियों हेतु अलग लेखा रखे जाएंगे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इनकी लेखा परीक्षा की जाएगी। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं हेतु जारी निधियों का विवरण अनुबंध-।। पर दिया गया है।

5. **परियोजना पर्यवेक्षण:**

वस्त्र मंत्रालय योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति का आवधिक रूप से निरीक्षण करेगा। मंत्रालय एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करेगी जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय को सचिवालय, प्रबंधन तथा कार्यान्वयन का सहयोग प्रदान करके एक तकनीकी सहायता शाखा के रूप में कार्य करेगी।

6. **परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी):**

योजना के तहत प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। पीएसी में निम्नलिखित घटक होंगे:

सचिव वस्त्र - अध्यक्ष
वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय-सदस्य
अपर सचिव/संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य संयोजक
नीति आयोग के प्रतिनिधि-सदस्य
डीपीआईआईटी के प्रतिनिधि- सदस्य

पीएसी के पास विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदित करने तथा उसके अनुसार परियोजना स्वीकृत करने, लक्षित मानदंडों के आधार पर डीसीएस तथा सीआईएस के तहत व्यय का मॉनीटर करने का प्राधिकार होगा। पीएसी सीआईएस नीतियों के साथ भी सामंजस्य बनाएगा जैसे प्रधानमंत्री मित्र पार्कों में अधिकाधिक इकाइयों के शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील होने के लक्ष्य के साथ निवेश तथा अन्य लक्षित

मानदंडों से लाभों को जोड़ना। योजना के संचालन के दौरान उठने वाले मामलों में पीएसी के पास अंतिम प्राधिकार होगा। पीएसी को परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा सहयोग किया जाएगा।

7. **प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण तथा उनका मूल्यांकन:**
औद्योगिक विकास हेतु न्यूनतम 1000 एकड़ का बाधारहित और निकटस्थ भूखंड रखने वाली इच्छुक राज्य सरकारें वस्त्र मंत्रालय को अपना परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। राज्य सरकार स्थान के मानचित्र तथा बंदरगाह/राष्ट्रीय राजमार्ग/विशेष मालवाहक कॉरीडोरों/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर मालवाहक स्टेशन/रेलवे स्टेशन आदि से सड़क संपर्क के साथ प्रधानमंत्री मित्र पार्क के विकास हेतु एक प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट **अनुबंध-।** में चयन मानदंडों के अनुसार ब्यौरों के साथ स्थान पर वस्त्र मूल्य श्रृंखला हेतु औद्योगिक विकास की क्षमता को स्पष्ट करेगी। राज्य सरकार क्षेत्र के 10% का उपयोग औद्योगिक भूमि उपयोग तथा व्यावसायिक भूमि उपयोग की अनुमति की पुष्टि करेगी। राज्य परियोजना हेतु पर्यावरण अनापत्ति हेतु सहयोग सुनिश्चित करेगा।

8. **मूल्यांकन तथा अनुमोदन प्रक्रिया:**
स्थान के प्राथमिक चयन हेतु मूल्यांकन मानदंड: प्रस्ताव में **अनुबंध-।** में दिए गए अनुसार प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु विनिर्दिष्ट किए गए सभी मानदंडों पर संगत सूचना प्रदान करनी होगी।

पीएमए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट का निरीक्षण करेगा तथा सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन हेतु परियोजना अनुमोदन समिति को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा।

9. **आरएफक्यू, आरएफपी तथा रियायत समझौते को अंतिम रूप दिया जाना और मास्टर डेवलपर का चयन:**
वस्त्र मंत्रालय पीएमए के सहयोग से स्थान के प्राथमिक चयन के साथ-साथ आरएफक्यू, आरएफपी तथा मास्टर डेवलपर के चयन हेतु रियायत समझौते का प्रारूप विकसित करेगा। स्थानों के चयन के पश्चात, विशेष स्थानों की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों, नीति आयोग तथा डीईए, वित्त मंत्रालय के परामर्श से इन प्रारूप दस्तावेजों में संशोधन (यदि आवश्यक हो) किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर, एक निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक प्रधानमंत्री मित्र पार्क हेतु एक एमडी का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मित्र पार्क हेतु कार्य उपरोक्त दस्तावेजों में अंतिम रूप से तैयार किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार प्रारंभ होगा।

(विजय कुमार सिंह)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23010494
ईमेल: vksingh90@ias.gov.in

फाइल सं. 20/1/2019-एसआईटीपी
नई दिल्ली

<u>अनुबंध-I</u>

पात्रता मानदंड (योग्यता मानदंड)			
#	**मापदंड**	**आवश्यकता**	**टिप्पणी**
	भूमि • निकट वर्ती • भार मुक्त • पार्क साइट का स्थान विज़-ए-विज़ इको-सेंसिटिव क्षेत्र • साइट लेआउट योजना • भूमि मंजूरी (भूमि उपयोग) • पहुंच में आसानी	1000+ एकड़	राज्य एक शपथ प्रस्तुत करे कि प्रस्तावित भूमि मित्र पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित की गई है और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं किया गया है।

चयन मापदंड

क्र.सं.	**चुनौती मैट्रिक्स**	**भार (%)**
01	**साइट से कनेक्टिविटी** • स्थल से निकटतम राजमार्ग - स्थल से कि.मी. में दूरी • एयर कार्गो/एयरपोर्ट/रेलहेड से दूरी - स्थल से किमी. में दूरी • समुद्री बंदरगाह/अंतर्देशीय जलमार्ग/समर्पित फ्रेट कॉरिडोर से दूरी • मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क/आईसीडी/सीएफएस से दूरी	25
02	**वस्त्र के लिए मौजूदा इको सिस्टम** • मौजूदा वस्त्र क्लस्टर से दूरी। • कच्ची सामग्री की उपलब्धता और वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त कुशल जनशक्ति • कौशल विकास संस्थान/अनुसंधान संघों/संस्थानों की उपलब्धता	25

03	**स्थल पर उपयोगिता सेवाओं की उपलब्धता** • पीएम मित्र पार्क के विकास और प्रचालन की सहायता हेतु स्थल पर अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत स्रोत की उपलब्धता का आश्वासन • विद्युत की खुली पहुंच सोर्सिंग की अनुमति के साथ पीएम मित्र पार्क क्षेत्र के लिए मास्टर डेवलपर हेतु विद्युत वितरण लाइसेंस का आश्वासन • समर्पित जल स्रोत और पीएम मित्र पार्क के लिए ताजे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना • क्षेत्र में नगरपालिका और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली • औद्योगिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधा से दूरी • विद्युत और पानी की दीर्घकालिक लागत	20
04	**राज्य औद्योगिक/वस्त्र नीति** • वस्त्र इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति/वस्त्र नीति • उपलब्ध प्रोत्साहन का विवरण • त्वरित सुविधा के लिए सिंगल विंडो निकासी निवेश/एफडीआई का कार्यान्वयन– पीएम मित्र पार्क के लिए स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एकल विंडो के अनुमोदन तंत्र का विवरण • पिछले पांच वर्षों में राज्य की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) • राज्य में पिछले 5 वर्षों के निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण • नए श्रम संहिताओं को अपनाने की स्थिति और नए श्रम संहिता में वस्त्र उद्योग के लिए प्रदान की जा रही छूट की मात्रा	20
05	**पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव** • राज्य सरकार से वचन कि साइट से कोई भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा और इसकी शीघ्र सांविधिक मंजूरी के लिए सहयता प्रदान करना।	10

अनुबंध-II

ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए चरण-।				
क्र.सं.	किस्त की संख्या	जारी करने के लिए पूर्व-स्थिति	वस्त्र मंत्रालय का सहायता अनुदान	मास्टर डेवलपर द्वारा एकत्रित निधियां
			इस्क्रो-I	इस्क्रो-II
1	1st	(क) मास्टर डेवलपर का चयन (ख) योजना और विकास कार्य शुरू करना (ग) भूमि निपटान (घ) विद्युत और जल (ङ) पर्यावरण निकासी (च) एमडी द्वारा 50 करोड़ रुपए की निधि एकत्र करना (छ) सीआई/एसआई के लिए 25 करोड़ रुपए की यूसी	50 करोड़ रुपए	50 करोड़ रुपए
2	2nd	(क) कुल एकत्र निधि का 75% का यूसी (अर्थात ₹50+ ₹50) (ख) साइट पर अनुरूप भौतिक प्रगति (ग) विद्युत, जल प्रणाली की स्थापना (घ) प्लग एंड प्ले सुविधा के ब्लॉक 1 को पूरा करना (ङ) स्वतंत्र कारखाना स्थल पर 100 करोड़ रुपए की योजनाबद्ध निवेश के साथ न्यूनतम 2 वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के निर्माण की शुरूआत करना	100 करोड़ रुपए	100 करोड़ रुपए
3	3rd	(क) 300 करोड़ रुपए का 75% यूसी (जीओआई + एसपीवी इक्विटी) (ख) प्लग एंड प्ले सुविधा में विनिर्माण इकाइयों का 50% की शुरूआत करना (ग) अनुमोदन के बाद उपयुक्त भौतिक लक्ष्य चिन्हित किए जाएंगे	100 करोड़ रुपए	100 करोड़ रुपए
4	4th	(क) 500 करोड़ रुपए की 75% का यूसी (जीओआई+ एसपीवी इक्विटी) (ख) प्लग एंड प्ले के दूसरे ब्लॉक को पूरा करना (ग) न्यूनतम 100 करोड़ रुपए के योजनाबद्ध निवेश के साथ कम से कम 5 स्वतंत्र कारखाना	50 करोड़ रुपए	50 करोड़ रुपए

		स्थल पर निर्माण की शुरूआत करना		
		(घ) अन्य उपयुक्त भौतिक लक्ष्यों को परियोजना के अनुमोदन और छूट करार के बाद चिन्हित किया जाएगा		
	कुल		**300** करोड़ रुपए	**300** करोड़ रुपए

चरण–II विकास उद्योग/प्रसंस्करण क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास का न्यूनतम 60% का निर्माण द्वारा एक बार भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा और इसकी निम्नलिखित शर्तों में से एक इसके साथ पूरी होनी चाहिए:

i. पीएम मित्र पार्क में 1000 करोड़ रुपए का संचयी निवेश;
ii. पीएम मित्र पार्क में सृजित 25000 लोगों को संचयी वार्षिक रोजगार;

चरण–II के अंतर्गत निधियां निम्न प्रकार से संवितरित की जाएगी:-

ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए चरण–II				
क्र.सं.	**किस्त की संख्या**	**जारी करने के लिए पूर्व–स्थिति**	**वस्त्र मंत्रालय का सहायता अनुदान**	**मास्टर डेवलपर द्वारा एकत्रित निधियां**
			इस्क्रो-I	**इस्क्रो-II**
1	1st	(क) 600 करोड़ रुपए के 90% का यूसी (जीओआई + चरण–I में जुटाई गई एसपीवी निधि) (ख) विनिर्माण इकाई द्वारा प्लग एंड प्ले के न्यूनतम 2 ब्लॉकों की शुरूआत और प्रचालनशील (ग) न्यूनतम 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ न्यूनतम 10 स्वतंत्र विनिर्माण सुविधा को प्रचालनशील करना (घ) अनुमोदन के बाद अन्य उपयुक्त भौतिक लक्ष्यों को चिन्हित किया जाएगा	50 करोड़ रु.	50 करोड़ रु.
2	2nd	(क) 700 करोड़ रुपए का 90% का यूसी (जीओआई + एसपीवी इक्विटी) (ख) अनुमोदन के बाद अन्य उपयुक्त भौतिक लक्ष्यों को चिन्हित किया जाएगा	50 करोड़ रु.	50 करोड़ रु.
3	3rd	क. 800 करोड़ रुपए का 90% का यूसी (जीओआई + एसपीवी इक्विटी) ख. अनुमोदन के बाद अन्य उपयुक्त भौतिक लक्ष्यों को चिन्हित किया जाएगा	50 करोड़ रु.	50 करोड़ रु.

4	4th	ग. 900 करोड़ रुपए का 100% का यूसी (जीओआई + एसपीवी इक्विटी) घ. प्लग एंड प्ले सुविधा में विनिर्माण इकाइयों को 100% शुरू करना।	50 करोड़ रु.	50 करोड़ रु.
		कुल	**200** करोड़ रु.	200 करोड़ रु.

****